

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 137/2022

अजेश उर्फ राजू पुत्र बनवारी लाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी मीणों की ढाणी,
तन माजीपुरा, पुलिस थाना अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

----प्रार्थी / अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र कालूराम, निवासी 155, तेजाजी के पास मण्डा
भिण्डा तहसील चौमू जिला जयपुर, राज.
(हाल चालक वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आरजे14-डीबी-5357)
2. मालीराम पुत्र लादूराम, निवास हाथनोदा, तहसील चौमू जिला
जयपुर, राज. (हाल पंजीकृत स्वामी वाहन मोटरसाईकिल नम्बर
आरजे14-डीबी-5357)
3. ईपको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कं.लि., जरिये प्राधिकृत अधिकारी
कार्यालय ए-13, थर्ड फ्लोर, खातीपुरा टर्न, राजपूताना हॉस्पिटल के
पास, सिरसी रोड, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर राज.
(हाल बीमा कम्पनी वाहन मोटरसाईकिल नम्बर
आरजे14-डीबी-5357)
वैधता दिनांक 04.05.2016 से 03.05.2017 तक
बीमा पालिसी / कवरनोट नम्बर 97826861

----अप्रार्थीगण / रेषपोडेण्ट

For Appellant(s)	:	Mr. Rakesh Kumar Bhargava, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

09/12/2025

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 02 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, शाहपुरा, जयपुर जिला (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-249/2021 (238/2016), अजेश उर्फ राजू बनाम सुरेश कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2021 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी अजेश उर्फ राजू द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 32,30,000/— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को कुल 2,90,058/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 07 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की जो मासिक आय निर्धारित की गयी है, उस पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य वृद्धि नहीं की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। अतः उपरोक्त तर्क के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।
5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 02.08.2016 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को ट्यूशन पढाने का कार्य कर प्रतिमाह 9,000/— रुपये की आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी दैनिक आय 201/— रुपये, तदनुसार मासिक आय $201 \times 30 = 6,030/—$ रुपये निर्धारित की जाकर मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर

आयी 20 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर अपीलार्थी को 20 प्रतिशत आय की क्षति होना पाते हुए, अपीलार्थी की मासिक आय 1,206/— रुपये निर्धारित की गयी है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की उपरोक्त निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य वृद्धि नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा भी हस्तगत अपील में केवलमात्र निर्धारित मासिक आय पर भविष्य वृद्धि के संबंध में तर्क लिया गया है। इन परिस्थितियों में केवलमात्र भविष्य वृद्धि की हद तक विद्वान अधिकरण का निर्णय संशोधित किये जाने योग्य है। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थी को 23 वर्ष की आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में अंकित जन्म वर्ष 1994 के आधार पर वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 22 वर्ष निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना अपीलार्थी 22 वर्ष की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय में 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 1,206/— रुपये का 40 प्रतिशत 482/— रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 1,688/— रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 22 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की 22 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $1,688 \times 12 \times 18 = 3,64,608/—$ रुपये होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 10,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम, 20,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
8. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में हम, 20,000/- रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शल्य चिकित्सा की मद में 5,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। अतः शल्य चिकित्सा की मद में हम 10,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में 6,562/- रुपये, पौष्टिक आहार की मद में 3,000/- रुपये तथा परिवहन पर व्यय राशि के मद में 5,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त मदों में दिलवाई गयी राशि के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गयी है। अतः उक्त मदों में दिलवाई गयी राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।
11. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	3,64,608/-
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	20,000/-
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में	20,000/-
4.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	6,562/-
5.	शल्य चिकित्सा की मद में	10,000/-
6.	03 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में तथा पौष्टिक आहार की मद में	3,000/-

7.	यातायात व परिवहन की मद में	5,000 /—
	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	4,29,170 /—
	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)	2,90,058 /—
	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,39,112 /—

12. तदनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **2,90,058 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **4,29,170 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

13. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्ता/अपीलार्थी, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

14. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

15. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J